जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना अफजलगढ   दिनॉक – 11.06.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 174/24 धारा 354/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधि0 में वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 24.05.2024 को थाना अफजलगढ क्षेत्र के वादी ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि 02 बाल अपचारियों द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री के साथ छेडछाड की गयी व जान से मारने की धमकी दी गयी। इस सम्बन्ध मे थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 174/2024 धारा 354/506 भादवि 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा एक बाल अपचारी को पूर्व में ही पुलिस अभिरक्षा में लिया जा चुका है ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.06.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 174/24 धारा 354/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधि0 में वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बाल अपचारी का नाम व पता–

1. एक बाल अपचारी।

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली टीम –

1.उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

2.हे0कां0 662 प्रशान्त कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

3.म0आरक्षी 623 शिवानी पुण्डीर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नांगल **दिनांक 11.06.2024**

थाना नांगल पुलिस ने मु0अ0सं0 111/2024 धारा 307/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 10.06.2024 को वादिनी श्रीमति पूनम पत्नी श्री पवन कुमार निवासी ग्राम नांगल सोती थाना नांगल जनपद बिजनौर ने थाना नांगल पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अशोक कुमार पुत्र भगता सिंह 2. राधा पत्नी अशोक कुमार 3. विकास 4. आकाश पुत्रगण अशोक समस्त निवासीगण ग्राम नांगल सौती थाना नांगल जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी पक्ष के खेत की फसल को कीटनाशक दवाई डालकर नष्ट कर दिया गया और कारण पूछने पर वादिनी व उसके बच्चों के साथ गाली-गलौच कर मारपीट की गयी तथा बाद में अभियुक्तों द्वारा वादिनी के पति पवन कुमार के साथ भी गाली-गलौच की गयी व जान से मारने की नियत से अभियुक्त आकाश उपरोक्त द्वारा चेहरे पर फावडे से वार से किया गया, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 111/2024 धारा 307/504/506 भादवि बनाम अशोक आदि 04 नफर पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.06.2024 को थाना नांगल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 111/24 धारा 307/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र भरता सिंह निवासी ग्राम नांगल सोती थाना नांगल जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त फावडा व लाठी डंडो सहित गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अशोक कुमार पुत्र भरता सिंह निवासी ग्राम नांगल सोती थाना नांगल जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण –

घटना में प्रयुक्त फावडा व लाठी डंडे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. थानाध्यक्ष अशोक कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर।
2. का0 1312 मोहित कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर।